न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :— 05/2026
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2026/59
अनवान

1. अशोक कुमार पुत्र श्री छोगाराम जाति विश्नोई निवासी पमाणा तहसील सांचौर, जिला जालोर

प्रार्थी...........

1. तहसीलदार सांचौर।
2. एलची देवी पत्नी छोगाराम।
3. नरेश पुत्र छोगाराम।
4. ऐलची पत्नी किशनाराम।
5. ओमप्रकाश पुत्र सुखराम।
6. केली देवी पत्नी सुखराम।
7. जगदीश पुत्र हरचंद।
8. जसी देवी पत्नी हरचंद।
9. मोहन पुत्र हरचंद।
10. जोधाराम पुत्र समेलाराम।
11. बाबुलाल पुत्र समेलाराम।
12. बाबूलाल गोदारा पुत्र रूगनाथराम।
13. बीरबलराम पुत्र रूगनाथराम।
14. हीराराम पुत्र रूगनाथराम जातियान विश्नोई, निवासीगण – पमाणा, तहसील – सांचौर, जिला—जालोर।

अप्रार्थीगण...........

प्रार्थना—पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :— 16.02.2026

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 14 की अधिवक्ता श्री राहुल पुरोहित उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 06.03.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा पमाणा के खेत खसरा नम्बर 1049, 1050, 1079, 1080, 740, 757, 827, 828, 835, 836 कुल खसरा 10 जुमले रकबा 15.

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

31 हैक्टर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की खातेदारी आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी में मुझ प्रार्थी के पिता स्व. छोगाराम के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा फौतेदगी नामांतरण भरा गया जिसमें मेरा नाम अशोक कुमार पुत्र छोगाराम की बजाय मोहन पुत्र छोगाराम दर्ज कर दिया जो एक मात्र माननीय भूल है। जो सुधार योग्य है। प्रार्थी के पिता छोगाराम का स्वर्गवास होने पर स्व. छोगाराम का फौतेदगी नामांतकरण के वक्त मैं व मेरा भाई नाबालिग थे। हल्का पटवारी ने किसके कहने पर नामांतरण भरा, जिसकी मुझे जानकारी नही है। प्रार्थी का नाम भूलवंश अशोक कुमार के बजाय मोहन लिख कर फौतेदगी नामांतकरण गलत स्वीकार हो जाने से राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार के बजाय गलत नाम मोहन के नाम से गलत दुरस्ती हो गयी। मौजा पमाणा के उपरोक्त खसरा नम्बारान आरजी में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार के बजाय मोहन गलत नाम से खातेदारी भूलवंश गलत दर्ज हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि मौजा पमाणा के खसरा नम्बरान 1049, 1050, 1079, 1080, 740, 757, 827, 828, 835, 836 कुल खसरे– 10. जुमले रकबा 15.31 हैक्टर भूलवंश प्रार्थी का नाम मोहन दर्ज हो जाने से प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाने का अधिकारी होने से राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर प्रार्थी का सही नाम अशोक कुमार पुत्र छोगाराम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी सं. 2 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल पुरोहित उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 2 से 14 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– अवतरण संख्या 01 व 02 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार सही है। प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का–बावरला, तहसील– सांचौर में आई हुई है। तथा जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम त्रुटिवश सुरेश दर्ज है। अवतरण संख्या 02 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार सही है। उक्त खसरान में प्रार्थी की मोहन पुत्र छोगाराम नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर अशोक कुमार पुत्र छोगाराम किया जाता है, तो हमे कोई आप्पति नही है।

4. प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि मौजा पमाणा के खसरा नम्बर 1049, 1050, 1079, 1080, 740, 757, 827, 828, 835, 836 (कुल 10 खसरे, रकबा 15.31 हैक्टर) प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के पिता स्व. छोगाराम के निधन पर फौतेदगी नामांतरण के समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी अशोक कुमार के स्थान पर गलत रूप से मोहन पुत्र छोगाराम दर्ज कर दिया गया, जो मात्र त्रुटिवश हुआ है। उस समय प्रार्थी व उसका भाई नाबालिग थे, अतः यह गलती अनजाने में हो गई। इसलिए निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बरान में काश्तकार कॉलम में दर्ज नाम "मोहन" के स्थान पर सही नाम "अशोक कुमार पुत्र छोगाराम" दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक दुरस्ती करने का आदेश प्रदान किया जाए।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

5. अप्रार्थी संख्या 2 से 14 की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि उक्त खसरान में प्रार्थी की मोहन पुत्र छोगाराम नाम की लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त कर अशोक कुमार पुत्र छोगाराम किया जाता है, तो हमे कोई आप्पति नही है।

6. हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र कार्ड का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र छोगाराम की बजाय **"अशोक कुमार पुत्र छोगाराम"** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–ःआदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा पमाणा के खसरा नम्बरान 1049, 1050, 1079, 1080, 740, 757, 827, 828, 835, 836 कुल खसरे– 10. जुमले रकबा 15.31 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र छोगाराम की बजाय **"अशोक कुमार पुत्र छोगाराम"** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **06.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर